कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न न्यायालयों में भारी संख्या में योजित कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मुकदमों के निस्तारण हेतु गठित विभागीय विवाद समाधान फोरम को सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग उ0प्र0, शासन के पत्र सं0–01/2019/11/सात–न्याय–अनु0प्रको0/2019 दिनांक 11–02–19 द्वारा सरकारी कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु गठित विभागीय विवाद समाधान फोरम को सक्रिय करते हुए निर्धारित व्यवस्था के अनुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– सरकारी कार्मिकों के मामलों के निस्तारण हेतु विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 01–07–2014 के अनुक्रम में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–01/2015–931/सात–न्याय–अनु0 प्रको0/2015–6 दिनांक 19–06–2015 द्वारा विभागीय विवाद समाधान फोरम के पुर्नगठन एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए दो के स्थान पर चार विभागीय विवाद समाधान फोरमों का गठन करते हुए दुग्ध विकास विभाग को फोरम–4 में रखा गया है।

3– विभागीय विवाद समाधान फोरमों के क्रियान्वयन हेतु गठित अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग प्राप्त वादों में प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से पत्रावली सन्दर्भित करेगा कि सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव वादी को बुलाकर उसकी समस्याओं को स्वयं सुने तथा निर्दिष्ट समयान्तर्गत विधिमान्य व्यवस्थाओं के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करके पत्रावली प्रमुख सचिव, अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग को वापस करें। विभागीय प्रमुख सचिव यदि प्रकरण का निस्तारण फोरम द्वारा कराना चाहते हैं तो अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग मामले का परीक्षण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही/सुनवाई हेतु उसे सम्बन्धित फोरम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

4– उक्त क्रम में अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग उ0प्र0, शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 24–09–2012 द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि वादों के समाधान हेतु आवेदन पत्र प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को सम्बोधित होने एवं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन न होने की दशा में आवेदन स्वीकार करना सम्भव नही होगा। विभागीय विवाद समाधान फोरम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति/कार्यालय ज्ञाप, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट **www.updairydevelopment.gov.in** पर उपलब्ध है।

अतः शासन के निर्देशानुसार विभागीय विवाद समाधान फोरम के सम्बन्ध में अपने–अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

(डॉ सुधीर एम. बोबडे)
दुग्ध आयुक्त।

सं.क.वा.–38
दि0–30–5–19

कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक सी-59 /दुग्ध–8 /विधि/2019–20 दिनांक 29 मई, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अनुभाग प्रभारी, ई0डी0पी0 मुख्यालय को उनके पत्रांक सी–38 दिनांक 22–05–2019 के क्रम में अनुपालनार्थ।
2–समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
3–समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
4–अनुसचिव, दुग्ध विकास, उ0प्र0 को शासन के पत्र सं0–234/53–1–19–2(15)/12 दिनांक 15–02–2019 के क्रम में सूचनार्थ ।
5–नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(डॉ सुधीर एम. बोबड़े)
दुग्ध आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

संख्या-01/2015-93/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2015-6न्याय-अनु0प्रको0/2008

लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विभिन्न न्यायालय में भारी संख्या में योजित हो रहे मुकदमों के निस्तारण में जहाँ एक ओर अत्यधिक समय लगता है एवं भारी धनराशि का व्यय होता है वहीं दूसरी ओर पैरवी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है। इसके अतिरिक्त कतिपय मामलों में कर्मचारी/अधिकारी एवं उसके परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में परस्पर बातचीत से विवाद का समाधान किये जाने पर स्थिति में सुधार की सम्भावना की जा सकती है।

2- उक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1649/सात-न्याय-1-2008-79/2007, दिनांक 30 मई, 2008 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों, जिनमें सरकार पक्षकार है, के त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय विवाद समाधान फोरम का गठन किया गया था। समय-समय पर उक्त गठित फोरम में यथावश्यकता संशोधन किये गये हैं। बदलते परिवेश में विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

3- प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय विवाद समाधान फोरम को और अधिक सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.07.2014 के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय विवाद समाधान फोरम के पुनर्गठन एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(1) लम्बित वादों की गुरुतर संख्या के दृष्टिगत गठित '02 विभागीय विवाद समाधान फोरम' के स्थान पर पुनर्गठित करते हुए 04 विभागीय विवाद समाधान फोरम का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनको विभागीय विवादों के समाधान के दृष्टिकोण से मुख्य सचिव के अनुमोदन से विभिन्न विभाग, जहाँ लम्बित वादों की संख्या अधिक है, आवंटित किये जायेंगे और आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन से आवंटन में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उपर्युक्तानुसार 04 विशिष्ट फोरम 'विभागीय विवाद समाधान फोरम' के नाम से स्थापित होंगे, जिनके मा0 अध्यक्ष/सदस्य निम्नवत होंगे :-

(I) <u>विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1</u>

(1) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री शिव बरन सिंह यादव, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री धीरज साहू, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

(2) <u>विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-2</u>

(1) प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री प्रमोद कुमार नेगी, अध्यक्ष, राज्यकीय वाहन चालक महासंघ उ0प्र0 (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री अनिल कुमार सागर, सचिव, विकलांग जन विकास विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

(3) <u>विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-3</u>

(1) प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री राम नगीना सिंह, महामंत्री, उ0प्र0 सांख्यकीय कर्मचारी परिसंघ। (मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) डा0 अशोक कुमार वर्मा, सचिव, राजस्व विभाग। (मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

(4) <u>विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-4</u>

(1) प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग- **अध्यक्ष।**

(2) श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय, अध्यक्ष, उ0प्र0 सरकार स्टेनोग्राफर महासंघ।(मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में)

(3) श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, गृह विभाग। मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित)

(4) प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(5) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(6) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी।

(7) मा0 महाधिवक्ता द्वारा नामित एक स्थायी अधिवक्ता।

3- विभागीय विवाद समाधान फोरमों के कार्य के लिये गठित अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग प्राप्त वादों में प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से पत्रावली संदर्भित करेगा कि सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव वादी को बुलाकर उनकी समस्याओं को स्वयं सुनें तथा निर्दिष्ट समय

के अन्तर्गत विधिमान्य व्यवस्थओं के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करके पत्रावली प्रमुख सचिव, अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग को वापस करे। विभागीय प्रमुख सचिव यदि प्रकरण का निस्तारण फोरम के द्वारा कराना चाहते हैं तो अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग मामले का परीक्षण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही/सुनवाई हेतु उसे संबंधित फोरम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करे।

4- सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागीय विवाद समाधान फोरम के समक्ष मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 लोक सेवा अधिकरण के सम्मुख लम्बित मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत की जायेंगी। विभागीय विवाद समाधान फोरम द्वारा सम्बन्धित वादों में सम्यक परीक्षणोंपरान्त सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यह निष्कर्ष लिये जायेंगे कि याची द्वारा प्रार्थित अनुतोष प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं यदि अनुतोष दिया जा सकता है तो प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रशासनिक विभाग को आवश्यक संस्तुति की जायेगी तथा विभागीय प्रमुख सचिव/सक्षम स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मामले के अंतिम निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि फोरम द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो मा0 न्यायालय में शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी की जायेगी। फोरम क्रमवार पहले ऐसे विभागों के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई करेगा जिनमें लम्बित वादों की संख्या अधिक होगी। फोरम द्वारा वादों के निस्तारण के समय अत्यन्त तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपितु सहानुभूतिपूर्ण एवं उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जायेगा।

5- ऐसे विभाग जिनके यहां लम्बित वादों की संख्या कम है, द्वारा भी विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यवाही, विभागीय नोडल अधिकारी के स्तर से की जायेगी एवं विभागीय नोडल अधिकारी की संस्तुति मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त करके किसी एक विभागीय विवाद समाधान फोरम को प्रेषित की जायेगी। ऐसे मामलों में फोरम अन्य मामलों की भांति अपनी संस्तुति विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे।

6- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु 'सेवा लोक अदालत' अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग द्वारा आयोजित कराया जायेगा। इसके लिये महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय से समन्वय करते हुए

न्याय विभाग द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक दिन (शनिवार की तिथि) सेवा लोक अदालत की कार्यवाही सम्पन्न कराने की कार्यवाही की जायेगी।

7- विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1, 2, 3 व 4 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों का बँटवारा करते हुए सुनवाई सम्पन्न कराई जायेगी :-

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1

उच्च शिक्षा/आबकारी/ऊर्जा/औद्योगिक विकास/कार्मिक/खादी एवं ग्रामोद्योग/गृह/श्रम/वन/परिवहन/पंचायतीराज/नियुक्ति/संस्कृति/होमगार्ड/न्याय/आवास/वित्त/कृषि/मत्स्य/सूचना/भाष/समाज कल्याण/उत्तरांचल समन्वय व राज्य सम्पति विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-2

नियोजन/ग्राम्य विकास/राष्ट्रीय एकीकरण/खेलकूद/सार्वजनिक उद्यम/चीनी उद्योग एवं गन्ना/युवा कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/भूमि विकास एवं जल संसाधन/नागरिक उड्डयन / उद्यान/निर्वाचन/वस्त्रोद्योग/विकलांग जन विकास/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/वाह्य सहायतित परियोजना/परती भूमि विकास/सिंचाई (यांत्रिक) व व्यवसायिक शिक्षा विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-3

लोक सेवा प्रबन्धन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/लोक निर्माण/राजस्व/सिंचाई/सहकारिता/वित्त/सामान्य प्रशासन/नागरिक सुरक्षा/राजनैतिक पेंशन/अतिरिक्त ऊर्जा/नगर विकास/लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/सचिवालय प्रशासन/कारागार प्रशासन/गोपन/खादय रसद/कार्यक्रम कार्यान्वयन/ मुख्य मंत्री कार्यालय व पशुधन विभाग।

विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-4

सतर्कता/पर्यटन/प्रशासनिकसुधार/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सैनिक कल्याण/प्रोटोकाल/दुग्ध विकास/ पर्यावरण/धर्मार्थ कार्य/महिला एवं बाल विकास/लघु सिंचाई/पिछडा वर्ग कल्याण/ समग्र ग्राम्य विकास/ नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/ समन्वय/बैंकिंग / सूचना एवं प्रौद्योगिकी/ कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/ उपभोक्ता संरक्षण बांट माप/ भूतत्व एवं खनिकर्म/ खादय एवं औषधि प्रशासन/ संसदीय व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

8- यद्यपि उपर्युक्त प्रस्तर-7 में सभी विभागीय विवाद समाधान फोरम में विभागों का बँटवारा करते हुए प्रत्येक के सम्मुख विभागों का उल्लेख कर दिया गया है फिर भी यदि किसी विभाग का उल्लेख उक्त 04 फोरमों में से किसी फोरम के सम्मुख अंकित नहीं है तो उस विभाग से संबंधित प्रकरण की सुनवाई विभागीय विवाद समाधान फोरम संख्या-1 द्वारा की जायेगी।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-01/2015-93/(1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2015-न्याय-अनु0प्रको0/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन/ प्रशासनिक सुधार/उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. श्री धीरज साहू, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अनिल कुमार सागर, सचिव, विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. डा0 अशोक कुमार वर्मा, सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्रीमती सरोज यादव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (विधि) कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ।
9. श्री शिव बरन सिंह यादव, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0।
10. श्री प्रमोद कुमार नेगी, अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक महासंघ, उ0प्र0।
11. श्री राम नगीना सिंह, महामंत्री, उ0प्र0 सांख्यकीय कर्मचारी परिसंघ।
12. श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय, अध्यक्ष, उ0प्र0 सरकार स्टेनोग्राफर महासंघ।
13. न्याय अनुभाग.1 (उच्च न्यायालय)/ न्याय अनुभाग.3 (नियुक्तियां) उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अनिरुद्ध सिंह)
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी।

विभागीय विवाद का समाधान फोरम के द्वारा सेवा-सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण कराए जाने हेतु आवेदन-पत्र।

(1) आवेदक का नाम : ----------

(2) पद नाम : ----------

(3) नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष : ----------

(4) वर्तमान तैनाती (कार्यालय का नाम एवम पूरा पता) : ----------
---
---

(5) पत्र व्यवहार का पता : ----------

----------दूरभाष/मोबाइल नं0 ----------

(6) समाधान हेतु प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

(7) क्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है :- हां/ नहीं

(8) यदि हां तो रिट याचिका संख्या : ----------

(9) न्यायालय जहां रिट याचिका योजित की गयी है : ----------

---

(10) याची द्वारा मांगा गया अनुतोष :-

(11) न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है :- हां/ नहीं ।

(12) क्या नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है :- हां/ नहीं ।

(13) यदि नहीं, तो क्या नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायालय आदेश के विरूद्ध अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका/पुनर्विचार याचिका योजित की गयी है :- हां/ नहीं ।

(14) यदि हां तो उसकी वर्तमान स्थिति :- अनिस्तारित /निस्तारित /इन्फ्रक्चुअस (निष्प्रभावी)

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नकों का विवरण :